



दिनांक 27.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति 349 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेंट आगरा/थाना ट्रांस यमुना

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 10 हजार रूपये नगद बरामद

दिनांक 26.06.2026 को थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण, 10 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-प्रदीप निवासी शोभा विहार सुदामापुरी नरायच ट्रांस यमुना, कमिश्नरेंट आगरा।

बरामदगी

1-चोरी की पीली-सफेद धातु के आभूषण।

2-10 हजार रूपये नगद।

जनपद देवरिया/थाना बरहज

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- चोरी की 02 विद्युत मोटर पम्प
- 2100/—रूपये नगद बरामद

दिनांक 26/27.06.2026 की रात्रि थाना बरहज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन बरहज के पास से 02 अभियुक्तों 1—अमरजीत 2—अमित को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 विद्युत मोटर पम्प, 2100/—रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बरहज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद विद्युत मोटर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बरहज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अमरजीत निवासी ग्राम बनकटिया बरछौली थाना बरहज जनपद देवरिया।
- 2—अमित निवासी ग्राम बनकटिया बरछौली थाना बरहज जनपद देवरिया।

बरामदगी

- 1—चोरी की 02 विद्युत मोटर पम्प।
- 2—2100/—रूपये नगद।

➤ जनपद सम्भल/थाना हयातनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना हयातनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पंकज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 58 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद फतेहगढ़/थाना मऊदरवाजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शीलू को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
